न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 07 / रेगूलर / 2024 (GCMS No. 2024 / 229)	25.11.2024	12.05.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

अरविन्द बागडी पुत्र रामरतन बागडी,
उचित मूल्य दुकानदार, नोताडा
निवासी नोताडा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी की ओर से श्री हरीश कपूर एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान पर जप्तशुदा 650 किलोग्राम गेहूँ को राजसात कर निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 07 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024 / 229 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 18.03.2025 को अपना जवाब पेश किया जाकर उक्त जप्तशुदा 650 किलोग्राम गेहूं को राजसात नहीं कर उक्त गेहू को उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु अप्रार्थी राशन डीलर को सिपुर्द किए जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 20.11.2024 को श्री अरविन्द बागडी पुत्र रामरतन बागडी, उचित मूल्य दुकानदार, नोताडा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर दुकान पर उपलब्ध खाद्य सुरक्षा गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में कुल 154 कट्टे में गेहूं पाया गया, जो कि पोस मशीन कोड संख्या 3207 में दर्ज स्टॉक 7037 किलोग्राम से 650 किलोग्राम अधिक था। श्री अरविन्द ने उक्त अधिक गेहूं के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। जिस पर उक्त पायी गयी अधिक मात्रा 650 किलोग्राम गेहूं को कट्टा सहित जब्त कर उचित मूल्य दुकानदार मुकुट बिहारी पुत्र बिरधीलाल उचित मूल्य दुकान भोपतपुरा तहसील तालेडा पोस कोड 3148 को सुरक्षा हेतु इस शर्त पर सुपुर्द किया गया कि वह कुल 650 किलोग्राम गेहूं को अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा सक्षम न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अच्छी स्थिति में प्रस्तुत करेगा। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के अन्तर्गत उक्त जप्त 650 किलोग्राम गेहू को राजसात करने के आदेश देने की कृपा करे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान के औचक निरीक्षण के दौरान 650 किलोग्राम स्टॉक से अधिक गेहूं पाये जाने का नोटिस अप्रार्थी को दिया गया। जिसके संबंध में निवेदन है कि अप्रार्थी अपने पिता रामरतन बागडी, उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के बाद से उक्त दुकान पर अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर काफी समय से राशन डीलर का कार्य कर रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं को अप्रार्थी राशन डीलर पर पूर्ण विश्वास होने के कारण वो उपभोक्ता जल्दी ही मजदूरी करने व खेतों पर कृषि कार्य करने चले जाते है। व अपनी राशन सामग्री की एन्ट्री पोश मशीन में करवाकर बाद में आते जाते समय उस राशन सामग्री को ले जाते है। उक्त उपभोक्ताओं की सूची जवाब नोटिस के साथ संलग्न है। इसी कारण से दिनांक 20.11.24 को औचक निरीक्षण के समय 650 किलोग्राम गेहूं स्टॉक से अधिक मिला था। अप्रार्थी की ओर से भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। अप्रार्थी के परिवार के जीवनयापन का एक मात्र जरिया यही है। अतः जप्तशुदा 650 किलोग्राम गेहू अप्रार्थी राशन डीलर को सिपुर्द किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी श्री अरविन्द बागडी पुत्र रामरतन बागडी, उचित मूल्य दुकानदार, नोताडा की दुकान पर निरीक्षण के दौरान उपलब्ध खाद्य सुरक्षा गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 154 कट्टे में गेहूं, जो पोस मशीन कोड संख्या 3207 में दर्ज स्टॉक 7037 किलोग्राम से 650 किलोग्राम अधिक पाये जाने से जप्तशुदा उक्त गेहू को

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

राजसात किये जाने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के अन्तर्गत कार्यवाही पेश की गई। जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा दिया गया जवाब एवं अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा 650 किलोग्राम गेहू का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान पर अधिक मात्रा में पाये गये 650 किलोग्राम गेहू को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बून्दी उक्त जप्तशुदा 650 किलोग्राम गेहूं के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी